<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर</u>

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या : 02/2019

1. गुरदर्शन सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी चक 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्री करणपुर।

--प्रार्थी--

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--अप्रार्थी--

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट</u>

--निर्णय-- **दिनांक : 24.02.2020**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 22 ओ ए के खाता संख्या 19/18 के मु.न. 26 में 3.466 हैक्टर, मु.न. 33 में 3.416 हैक्टर, मु.न. 36/16 में 0.076 हैक्टर गैरमुमकिन खाला कुल क्षेत्रफल 6.958 हैक्टर भूमि में से प्रार्थी के नाम 0.232 हैक्टर भूमि व चक 24 ओ के खाता संख्या 70/73 के मु.न. 26 में 6.325 हैक्टर में प्रार्थी के नाम 5 बीघा कृषि भूमि दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी के नाम उक्त दोनो खातों में प्रार्थी के नाम 5.232 हैक्टर नहरी भूमि मुर्शतका खाता में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी ने दो माह पूर्व जमाबन्दी निकलवाई तो प्रार्थी को पता चला कि खाता संख्या 19/18 के मु.न. 26 में वादी का नाम गुरदर्शन सिंह के स्थान पर सहवन से दर्शन सिंह व खाता संख्या 70/73 में प्रार्थी का नाम गुरदर्शन सिंह के स्थान पर सहवन से मंगल सिंह दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का सही नाम गुरदर्शन सिंह है। वादी के समस्त पहचान दस्तावेज यथा राश्न कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम गुरदर्शन सिंह दर्ज है। वादी ने तहसीलदार श्री करणपुर में राजस्व रिकॉर्ड में दर्शन सिंह व मंगल सिह के स्थान पर गुरदर्शन सिंह दुरूस्त करवाने को कहा तो पहले टाल मटोल करते रहे, परन्तु आज से करीब 20 दिन पूर्व वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करने से साफ इन्कार हो गए और श्री मान जी के समक्ष चाराजोही करने हेतु कहा। यही विनाये मुखास्मत दावा है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 22 ओ ए के खाता संख्या 19/18 के मु.न. 26, 33, 36/16 में प्रार्थी का नाम दर्शन सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह के स्थान पर गुरदर्शन सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह व चक 24 ओ के खाता संख्या 70/73 के मु.न. 26 में प्रार्थी का नाम मंगल सिह पुत्र गुरजन्ट सिंह के स्थान पर गुरदर्शन सिह पुत्र गुरजन्ट सिंह दुरूस्त करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होन पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्री करणपुर के पंत्राक 9175 दिनांक 10.02.2020 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार चक 22 ओ ए की जमाबन्दी में मु.न. 26, 33, 38/6 की कुल 6.985 हैक्टर भूमि में से दर्शन सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह 0.232 हैक्टर हिस्सा दर्ज है। चक 24 ओ की जमाबन्दी में मु.न. 26 की कुल 6.325 हैक्टर भूमि में से मंगल सिह पुत्र गुरजन्ट सिंह 100 हिस्सा दर्ज है। फर्द मौका , रिपोर्ट अनुसार दस्तावेज, गाव से पूछताछ के अनुसार प्रार्थी का नाम गुरदर्शन सिंह पुत्र गुरजन्ट सिह है। जो कि सभी दस्तावेजों में भी इसी अनुसार ही दर्ज है। दर्शन सिह व मंगल सिह प्रार्थी का ही घर में बोलचाल की भाषा में उपनाम है। सलग्न पटवारी हलका रडेवाला रिपोर्ट के अनुसार उक्त रकबा चक 22 ओ ए के खाता संख्या 19 में प्रार्थी का नाम दर्शन सिंह के स्थान पर

गुरदर्शन सिंह व चक 24 ओ के खाता संख्या 70 में प्रार्थी का नाम मंगल सिंह के स्थान पर गुरदर्शन सिंह किया जाना उचित है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत 6 एफए रडेवाला के प्रमाण के अनुसार गुरदर्शन सिंह उर्फ मंगल सिह उर्फ दर्शन सिह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्री करणपुर का रहने वाला है। तथा गुरदर्शन सिह व मंगल सिह व दर्शन सिह तीनो नाम एक ही व्यक्ति के है। तथा इसे मै व्यक्तिगत रूप से जानता हूं।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चक 22 ओ ए के खाता संख्या 19/18 के मु.न. 26, 33, 36/16 में प्रार्थी का नाम दर्शन सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह के स्थान पर गुरदर्शन सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह व चक 24 ओ के खाता संख्या 70/73 के मु.न. 26 में प्रार्थी का नाम मंगल सिह पुत्र गुरजन्ट सिंह के स्थान पर गुरदर्शन सिह पुत्र गुरजन्ट सिंह अंकित किए जाने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मूलनिवास में गुरदर्शन सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह अंकित है। प्रार्थी के नाम के सम्बन्ध में सरपंच ग्राम पंचायत 6 एफ ए रडेवाला द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी गुरदर्शन सिह, मंगल सिह, दर्शन सिंह एक ही व्यक्ति के तीनों नाम है। रिपोर्ट तहसीलदार व सलग्न रिपोर्ट पटवारी हलका के अनुसार चक 22 ओ ए के खाता संख्या 19 में प्रार्थी का नाम दर्शन सिंह के स्थान पर गुरदर्शन सिंह व चक 24 ओ के खाता संख्या 70 में प्रार्थी का नाम मंगल सिंह के स्थान पर गुरदर्शन सिह किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली में साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 22 ओए की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 19 दर्ज प्रार्थी का नाम दर्शन सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह के स्थान पर गुरदर्शन सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह व चक 24 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 70 में दर्ज प्रार्थी का नाम मंगल सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह के स्थान पर गुरदर्शन सिह उर्फ मंगल सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। इन दोनो चको के दोनो खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आदेश इस आश्य का जारी हो। आदेश की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.02.24 15:17:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: